—: अधिसूचना :—

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911—15/भवन निर्माण—2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से शिशु **हितलाभ योजना** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या—1467/छत्तीस— 2—12—251 (एस0एम0)/95टी0सी0—111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली शिशु हितलाभ योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये हैं:—

1. लाभार्थी को हितलाभ वर्ष में एक बार एकमुश्त दिया जायेगा। शिशु लड़का होने की स्थिति में धनराशि रू0 10,000/— प्रति शिशु की दर से देय होगा, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 12,000/— वर्ष में एक बार प्रति शिशु की दर से देय होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में एक बार, एकमुश्त धनराशि रू0 10,000/— या रू0 12,000/— (जैसी भी स्थिति हो) प्रति शिशु की दर से शिशु के दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगा।
3. योजना के अन्तर्गत जन्म के एक वर्ष की अवधि तक प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में रू0 1000/— प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी।
4. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होंगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।